पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है लेकिन पक्षकारान् के मध्य बंट हेतु खेताय का सहमति से विभाजित किया नजरीनक्शा संलग्न है जो वाद का अभिन्न अंग है। प्रतिवादी संख्या 2 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है ना ही अन्य भूमि होने के संबंध में साक्ष्य सबूत पेश किया है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है अतः प्रतिवादी संख्या 2 का नियमानुसार हक तर्क से स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा खिंयाला तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 396, 109, 48 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा माफिक राजीनामा/सहमति एवं लोक अदालत की भावना अनुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर वाद को अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा खिंयाला तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 396, 109, 48 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा माफिक राजीनामा/सहमति एवं लोक अदालत की भावना अनुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

1. वादी संख्या 1 भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जोचिणा का खेत खसरा नंबर 109 रकबा 1.2707 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.6353 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा तथा खसरा नंबर 396 रकबा 1.1331 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.5665 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 किसनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जोचिणा का खेत खसरा नंबर 109 रकबा 1.2707 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.6354 हैक्टेयर उतरी हिस्सा तथा खसरा नंबर 396 रकबा 1.1331 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.5665 हैक्टेयर उतरी हिस्सा रखा गया है।
3. प्रतिवादी सुखदेवराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जोचिणा का खेत खसरा नंबर 48 रकबा 0.6556 हैक्टेयर यथावत रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 सम्पु के मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 का नियमानुसार जरिये हकतर्क स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

04/10/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner